

1981-2001

उत्तर रुहि पर्यंग म-२ होने के सभी विषय

राज्यों और क्रमशालित प्रदेशों में जनसंख्या दौहि दर (2001)
वर्ष 1991-2001 की जनगणना अधिकों के दौरान कुल में सबसे कम 9.43 और नागालैंड में अपर्याप्त 64.53 %. जनसंख्या दौहि दरी की ओर इसी दिनी में आधिक 47.02 %, चक्रीगढ़ में 40.28 %. और लिम्बुम में 33.06 %. जनसंख्या दौहि दर की ओर इसी इसके मुकाबले लोटो, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश में 1991-2001 के दौरान जनसंख्या दौहि कोपी कम रही है।

2001 की जनगणना के अनुलाभ मात्र की जनसंख्या का धनते अनसंख्या दरनाव का अभिप्राय किली दर में होने वाले व्यक्तियों की प्रति का किसीमीटर आंतर संरक्षण से है। किली दरों वा की की कुल जनसंख्या को वहाँ के कुल भवित्व से मार्ग देख उपर्युक्त दरान की जनसंघनता मात्रा की जो सकती है। 2001 की जनगणना के अनुलाभ मात्र के जनसंघनत 324 व्यक्ति प्रति का किसीमीटर है। प्रमुख राज्यों में पं. बंगाल भारी भी सहज छोड़ा वाला राज्य है। 2001 में यहाँ की आवादी का धनत 903 था। बिहार दुसरे द्व्यान पर है, 2001 के अनुलाभ यहाँ 880 धनत या आवादी के धनत के द्वितीय से कुलसे का स्थान तीसरा है, 2001 के अनुलाभ यहाँ 819 धनत था।

जनसंख्या में रुपी-पुरुष अनुपात (1901-2001) :- रुपी-पुरुष अनुपात के अभिप्राय प्रति 1901 पुरुषों के अनुपात में विविधों की संरक्षण से है। 20वीं शताब्दी के आंम मार्गति 1901 में यह अनुपात 972 थी, जबकि 1951 में यह 946 भारी 2001 में यह 933 हो गई।

भास में साक्षरता - दर (1951-2001) — किली भी इस की जनसंख्या का गुणात्मक पहलू वही समा तक साक्षरता के क्षेत्र पर निर्भी करता है। दुर्भाग्यकर साक्षरता की दृष्टि से मात्र की स्थिति

बहुत असंगीषजनक रही है। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में साधारण दर 75.26% तथा महिलाओं का साधारण दर 53.67% है।

2001 की जनगणना में उद्योगिक छोटे साहार माना गया है। प्रियंका इस वर्ष या उसवे भौतिक है तथा पो किंवि भी आधा में भौतिक उस विषय पर सकृता है। ऐसे विषय को साहार नहीं माना जा सकता है लेकिन उसे लिख नहीं सकता। 2001 की जनगणना के अनुसार साधारण दर स्तर क्षेत्र में सबसे अधिक (91%) और विद्यार्थी सबसे कम (47%) है।

भारत में जनसंख्या दृष्टि के कारण:

i) शिक्षा विषय

ii) परंपरातादी समाज

iii) संयुक्त परिवार

आर्थिक कारण

iv) जन विवाद

v) विवाह की अस्वीकारता

vi) मृत्यु दर की बातें

vii) शहरीकरण का नीचारण

viii) विवाह उपायों का विस्तृत उपयोग

भारत में जनसंख्या नीति: — जनसंख्या नीति सरकार द्वारा की जनसंख्या का आकार तथा विवाह में किंवि सरलजाति नियम द्वारा निर्दिश के द्वारा परिवर्तन लाने का किया गया प्रयत्न होता है एवं नाम निम्नलिखित है: —

1) आवश्यकतानुसार जनसंख्या में बढ़ या कमी लाना।

2) जनसंख्या नीति के अन्तर्गत मियम कानून बनाना।

3) जनसंख्या की संत्यना तथा परिवर्तन।

4) जनविवाह तथा मृत्युदर में कमी लाना।

जनसंख्या नीति 2000 : — कोड-ट्रॉलोग्या द्वारा द्वारे परिवार का प्रांत्यादन के के लिए 15 फरवरी 2000 को नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा हुई। इसके तहल निम्न प्राप्ति है।

(a) — वालीरेवाह नियन्त्रण मान्यनिया प्रभावी हो से ले लागू हो।

(b) जनियादि (जिवा, मुमुक्षु तथा अनिवार्य हो।)

(c) ज-म, सत्य, विश्व का धनीकरण अनिवार्य हो।

(d) गतीकी रूपा से नीचे भीवन विवर करने वाले को द्वारा परिवार हो 5000 का सराहन्य बीमा मिल।

(e) तो सरलकारी संस्था को परिवार नियाजन कार्यक्रम को पुरार प्रसार सफलता के लिए संगोष्ठी याए।

राष्ट्रीय नियन्त्रण कोष : — नई जनसंख्या नीति को अंतर्गत नियन्त्रित विधीनिया को जनसंख्या भव्य को प्राप्त करने के लिए कोड-ट्रॉलीय मन्त्रिमंडल की आधिकारिक मामला की समीक्षा ने Feb 2003 में राष्ट्रीय जनसंख्या विधीनियारण कोष को गठन कर पुरात को मंजूरी प्रदान की है। पुरात 2003 में यह अधिकार में आया और इसका वित्तपात्रा 100 करोड़ को प्राप्तिका राशि किया गया है।

भारत में नगरीकरण

संघ सभ्यता को क्लाल से ही भारत में भारो का आवश्यक रहा है। आधुनिक क्लाल में सूरोपियों के भारत भागमन के बो नगरीकरण की नीत्र प्रक्रिया शुरू हुई, वह आज तक बढ़ी है। कीमान के लोगभग 100 लाख नगरों का शिवास मध्यक्लाल से जुड़ा है। इनमें से आधिकांश नगरों विकास रेगिस्ट्रे और रोजौ के विज्ञालयों के तरप में हुआ। ऐसे नगरों में दिल्ली, हैरावाद, जयपुर, लखनऊ, गोपालगंगा, पंडिचर्ता आदि उत्तरेयनीय है। दूसरे, गोवा, भारत में सूरोपियों के आने वाले हुआ।

नागरीकरण को मार्ग है शहरों में जनसंख्या को वह दिल्ला जो काम में नवाच करता है।